FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2025

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0008 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 05/03/2025 15:21 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

   Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/03/2025 **Time (समय):** 15:21 hrs

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 010 **Date and Time (दिनांक और समय):** 05/03/2025 15:21 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH-WEST, 3 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

   (b) Address (पता): तहसील अम्बाला,अम्बाला

   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

   District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

   (a) **Name (नाम):** साहब सिंह

   (b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री निर्मल सिंह

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1977 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

   (e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**मानकपुर, अम्बालाAMBALA, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**मानकपुर, अम्बालाAMBALA, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9992830235

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	रीना पटवारी			1. तहसील अम्बाला,अम्बाला AMBALA,HARYANA,INDIA
2	शम्मी			1. तहसील अम्बाला, AMBALA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्रीमान जी, नकल लेख निम्न प्रकार से है:-
सेवा में
इन्सपैक्टर साहब
विजिलेंस अम्बाला।

श्रीमानजी,

निवेदन है कि मैं साहब सिहं पुत्र स्वर्गीय श्री निर्मल सिहं वासी गांव मानकपुर, तहसील व जिला अम्बाला का रहने वाला हुं व खेती-बाड़ी के अलावा ड्राईवरी करता हूं। मेरी माता श्रीमति कमला देवी नें मेरे पिता जी की जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर ली थी, जिस कारण मेरा व मेरी माता श्रीमति कमला देवी के बीच जमीनी विवाद निचली अदालत अम्बाला में चला था जिसका फैसला मेरी माता श्री मति कमला देवी के हक में हो गया था। निचली अदालत के फैसले के विरूध मैनें जिला अदालत अम्बाला में अपील दायर की थी, जिसका फैसला दिनांक 21.12.2024 को मेरे हक में हो गया था। माह दिसम्बर, 2024 में माननीय न्यायालय अम्बाला द्वारा पारित आदेशों अनुसार जब मैं इन्तकाल करवानें के लिये रीना पटवारी को मिलनें के लिये उसके दफतर नजदीक मानव चौक, अम्बाला शहर में गया तो रीना पटवारी का सहायक शम्मी मुझे मिला। मैनें सहायक शम्मी को उक्त आदेशों की कापियां दिखाई। जो मुझे रीना पटवारी के पास लेकर गया रीना पटवारी के पास लेकर गया, रीना पटवारी ने मेरे अदालत के आदेश देख कर मुझसे कहा की आप इन आदेशो को तहसीलदार वा कानूनगो से मार्क करवा कर लायें फिर मैने कोर्ट के आदेशो को तहसीलदार साहब से मार्क करवाकर कानूनगो को दे दिये थे। उसके कुछ दिन बाद शम्मी सहायक पटवारी मुझे मिला जिसको मैने बतलया की मैने कुछ दिन हुये कोर्ट के आदेशो को तहसीलदार से मार्क करवा कर कानूनगो को दे दिये है। फिर शम्मी ने मुझे कहा की कानूनगो से व अन्य सारी औपचारिकतायें हम अपने आप पूरी करके इंतकाल आपके नाम करवा देगें आप हम को 50,000/- रूपये दे देनां। और मेरे जमीन के कोर्ट के आदेश अपने पास रख लिये और मुझे बाद में आकर मिलनें बारे कहा था। कल दिनांक 04.03.2025 को मैं दोबारा रीना पटवारी के दफ्तर में गया जहां पर रीना पटवारी व उसका सहायक शम्मी दोनों हाजिर थे । मैनें रीना पटवारी वा शम्मी सहायक पटवारी से अपनी जमीन का इन्तकाल मेरे नाम करनें के लिये अनुरोध किया और कहा की 50,000/- रूपये इस काम के लिये ज्यादा है कुछ कम कर लो जिस पर रीना पटवारी ने शम्मी की तरफ इशारा करते हुये कहा की तु बता दे, फिर मैने कहा की मैं गरीब आदमी हुँ कुछ कम कर लो जिस पर रीना पटवारी नें मुझे कहा कि आप अपनें हिसाब सेबतादो, जिस पर सहायक शम्मी नें मुझे कहा कि 5-4 उपर नीचे कर के दे देनां और रीना पटवारी ने इशारे से गर्दन हिला दी। फिर मैनें कहा की मै पैसो का इन्तजामं कर लेता हुँ। जो आज मुझे करीब 45,000 रुपये लेकर बुलाया है। परन्तु मेरे पास 40,000/- रूपये ही है इसलिये आज मैं इन्हे कुल 45000/- रूपये में से 40,000/- रूपये ही दूंगा। मैं इन दोनों को रिश्वत की ये राशि 40,000/- रूपये नही दूंगा तो यह मेरे नाम इन्तकाल नही दर्ज करेंगे। मैं रीना पटवारी तहसील अम्बाला व उसके सहायक को यह रिश्वत राशि नही देना चाहता और इन दोनों को रिश्वत राशि सहित रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। मैनें इन दोनों की रिश्वत राशि की मांग संबधी बातचीत की रिकार्डिग कर ली थी जिसको मैं अपको बाद मे पेश कर दूंगा। मैने अपनी टाईप शुदा शिकायत के साथ रिश्वत राशि के 500/500 रुपये के कुल 80 नोट आप को पेश कर दिये है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि रीना पटवारी व उसके सहायक शम्मी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए।

-sd- साहब सिंह
साहब सिहं पुत्र स्वर्गीय श्री निर्मल सिहं,
वासी गांव मानकपुर, तहसील व जिला अम्बाला।
मो.न. 9992830235
दिनांक 05.03.2025

कार्यवाही पुलिस- आज दिनांक 05.03.2025 को मन निरीक्षक मय स्टाफ हाजिर कार्यालय हूं कि साहब सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री निर्मल सिहं वासी गांव मानक पुर, तहसील व जिला अम्बाला ने हाजिर कार्यालय आकर एक टाईपशुदा दरखास्त के साथ 500-500 रूपए के 80 अदद करन्सी नोट कुल 40,000/- रूपए मेरे पेश किए। मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और सन्तुष्ट होने पर शिकायतकर्ता द्वारा पेश किये गये करंसी नोटों को फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूचि करन्सी नोट तैयार की गई। फर्द सूचि करन्सी नोट पर शिकायतकर्ता साहब सिंह व अन्य गवाहनें अपने-अपनें हस्ताक्षर किए। दरखास्त बारे पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के संज्ञान में लाकर राजपत्रित अधिकारी के सम्बन्ध में उचित आदेश व्हटसअप के माध्यम से प्राप्त होने उपरांत मेरे द्वारा श्री रितुल सिंगला, सहायक निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्र, अंबालासे सम्पर्क किया गया और हालात बारे अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के आदेश बारे बतलाया और एक छाया गवाह अपने साथ लेकर हाजिर कार्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला

आने बारे सूचित किया गया। दरखास्त के मजबून से रीना पटवारी व उसके सहायक शम्मी के विरूध जुर्म धारा 7, 7-ए PC Act 1988 व 61(2) भारतीय न्याय संहिता-2023 का सरजद होना पाया गया । मन निरीक्षक मय स.उ.नि. सतबीर सिंह नं0 796/युमनानगर , महिला स.उ.नि. बलजिन्द्र कौर नं0 191/अम्बाला, स.उ.नि. राजीव कुमार नं0 243 /अम्बाला व ई.एच.सी. जयभगवान न. 297/कैथल, सिपाही गुलशन न. 1780/करनाल बा सवारी गाडी सरकारी न. HR03 GV 7947 जिसका चालक ई.एच.सी. बीरबल नं0 1368/करनाल व प्राईवेट गाडी तथा तफतीशी बैग, लैपटाप व प्रिन्टर सहित रेडिंग पार्टी तैयार की गई। तहरीर बराये कायमी अभियोग सिपाही गुलशन न. 1780/करनाल की गई है। बाद कायमी अभियोग नम्बर अभियोग से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट अम्बाला व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाए व असल लेख मय पुलिस फाईल मौका पर भिजवाई जाए ।

स्थान- कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला।

-sd- Rajesh Kumar

(राजेश कुमार)

निरीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला।

दिनांक 05.03.2025

समय 2:45pm

अज थाना –इस समय एक टाईप शुदा लेख निरीक्षक राजेश कुमार भ्र0नि0ब्यूरो, अम्बाला बर दरखास्त साहब सिहं पुत्र स्वर्गीय श्री निर्मल सिहं वासी गांव मानकपुर, तहसील व जिला अम्बाला बर खिलाफ रीना पटवारी तहसील अम्बाला बाबत शिकायतकर्ता के नाम इन्तकाल दर्ज करने की एवज मे 40,000/- रुपये रिस्वत राशि मांगने बारे बाजूर्म धारा 7, 7A PC Act 1988 व 61(2) भारतीय न्याय संहिता-2023 का होना पाया जाने पर बादस्त सिपाही गुलशन न. 1780/करनाल के थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 08 दिनांक 05.03.2025 धारा 7, 7A PC Act 1988 व 61(2) भारतीय न्याय संहिता-2023 थाना भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल रिपोर्ट व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख बदस्त आने वाले सिपाही गुलशन न. 1780/करनाल के द्वारा सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला व अनुसंधानकर्ता के पास मौका पर भेजा जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बन्धित की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेंगी। यह अभियोग निरीक्षक बिमला देवी थाना भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Rajesh Kumar **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 71HAP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Om Prakash

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female					**Is pox pitted:** Yes
2	Male					**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)